<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

<u>सिविल अपील सं. 3005/2022</u>

भारत संघ एवं अन्य ... अपीलार्थी (गण)

बनाम

आशीष अग्रवाल ...प्रत्यर्थी (गण)

सह

सिविल अपील सं. 3006/2022

सह

सिविल अपील सं. 3009/2022

सह

सिविल अपील सं. 3007/2022

सह

सिविल अपील सं. 3008/2022

सह

सिविल अपील सं. 3010/2022

सह

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सिविल अपील सं. 3013/2022

सह

सिविल अपील सं. 3011/2022

सह

सिविल अपील सं. 3012/2022

सह

सिविल अपील सं. 3014/2022

सह

सिविल अपील सं. 3015/2022

सह

सिविल अपील सं. 3016/2022

सह

सिविल अपील सं. 3017/2022

सह

सिविल अपील सं. 3019/2022

सह

सिविल अपील सं. 3020/2022

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सह

<u>सिविल अपील सं./2022</u>

(वि.अ.या. (सी) सं. 6448/2022 से उद्भूत)

सह

<u>सिविल अपील सं./2022</u>

(वि.अ.या. (सी) सं. 5381/2022 से उद्भूत)

सह

<u>सिविल अपील सं./2022</u>

(वि.अ.या. (सी) सं. 5079/2022 से उद्भूत)

सह

<u>सिविल अपील सं./2022</u>

(वि.अ.या. (सी) सं. 6092/2022 से उद्भूत)

सह

<u>सिविल अपील सं./2022</u>

(वि.अ.या. (सी) सं. 6534/2022 से उद्भूत)

सह

<u>सिविल अपील सं./2022</u>

(वि.अ.या. (सी) सं. 6158/2022 से उद्भूत)

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सह

<u>सिविल अपील सं./2022</u>

(वि.अ.या. (सी) सं. 6316/2022 से उद्भूत)

सह

<u>सिविल अपील सं./2022</u>

(वि.अ.या. (सी) सं. 6281/2022 से उद्भूत)

सह

<u>सिविल अपील सं./2022</u>

(वि.अ.या. (सी) सं. 6545/2022 से उद्भूत)

सह

<u>सिविल अपील सं./2022</u>

(वि.अ.या.(सी) सं. 6038/2022 से उद्भूत)

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति एम. आर. शाह</u>

वि.अ.या.(सी) सं.6448/2022, 5381/2022, 5079/2022, 6092/2022, 6534/2022, 6158/2022, 6316/2022, 6281/2022, 6545/2022, 6038/2022 में अनुमति प्रदान की गयी।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट टैक्स नं. 524/2021 और अन्य संबद्ध रिट टैक्स याचिकाओं में पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिकाओं को अनुमति दी और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत राजस्व द्वारा जारी किए गए कई पुनर्मूल्यांकन नोटिसों को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधन के मद्देनजर ये विधितः गलत हैं, जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2021 से नए प्रावधान अर्थात् धारा 147 से 151 को शामिल करके आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है, राजस्व ने वर्तमान अपीलें दायर की है।

2. इसी प्रकार के निर्णय और आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय,बम्बई उच्च न्यायालय, सहित विभिन्न अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा पारित किए जाते हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

क्रम संख्या	विवरण
1.	अशोक कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट टैक्स सं. 524/2021 में पारित 30.09.2021 दिनांकित निर्णय
2.	बीपीआईपी इन्फ्रा प्रा. लि. बनाम आयकर अधिकारी एवं अन्य (राजस्थान उच्च न्यायालय) एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 13297/2021 में राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर द्वारा पारित 25.11.2021 दिनांकित निर्णय
3.	मनमोहन कोहली बनाम एसीआईटी (दिल्ली उच्च न्यायालय) रिट याचिका (सी) सं . 6176/2021 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 15.12.2021 दिनांकित निर्णय
4.	बगारिया प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (कलकत्ता उच्च

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

	न्यायालय) डब्ल्यू.पी.ओ. संख्या 244/2021 में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित 17.01.2022 दिनांकित निर्णय
5.	मनोज जैन बनाम भारत संघ (कलकत्ता उच्च न्यायालय) डब्ल्यू.पी.ए. संख्या 11950/2021 में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित 17.01.2022 दिनांकित निर्णय
6.	सुदेश तनेजा बनाम आईटीओ (राजस्थान उच्च न्यायालय) डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 969/2021 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित 27.01.2022 दिनांकित निर्णय
7.	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाम सीबीडीटी (मद्रास उच्च न्यायालय) रिट याचिका सं. 15019/2021 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित 04.02.2022 दिनांकित निर्णय
8.	टाटा कम्युनिकेशंस ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज बनाम एसीआईटी (बॉम्बे हाई कोर्ट) रिट याचिका संख्या 1334 /2021 में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित 29.03.2022 दिनांकित निर्णय

5 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि असंशोधित आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत लगभग 90,000 ऐसे पुनर्मूल्यांकन नोटिस 01.04.2021 के बाद राजस्व द्वारा जारी किए गए थे, जो देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष 9000 से अधिक रिट याचिकाओं की विषयवस्तु बने और विभिन्न निर्णय एवं आदेश द्वारा, जिनका विवरण ऊपर दिया गया है, उच्च न्यायालयों ने समान दृष्टिकोण अपनाया है और समान आधारों पर धारा 148 के तहत जारी संबंधित पुनर्मूल्यांकन नोटिसों को अपास्त कर दिया।

2. 1 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश वर्तमान अपीलों की विषय–वस्तु है। विद्वान एएसजी श्री एन. वेंकटरमन ने बार में कहा कि राजस्व विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित इसी तरह के निर्णय एवं आदेशों के

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहा है। तथापि, चूंकि विषय सामान्य है और कार्यवाहियों की बहुलता होगी और इस न्यायालय के बोझ को कम करने के लिए और इसमें नीचे दिए गए कारणों से, जैसा कि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए एक आदेश पारित करने का प्रस्ताव करते हैं, वर्तमान आदेश समान विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित सभी अन्य निर्णयों एवं आदेशों को शासित करेगा। इसलिए, हमारी टिप्पणी है कि राजस्व विभाग को अलग–अलग व्यक्तिगत अपील दायर करने की आवश्यकता नहीं है जिनकी संख्या 9000 से अधिक हो सकती है।

2.2 वास्तव में, हमने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी.ए. सुंदरम, को सुना है, जो संबंधित निर्धारिती की ओर से पेश हुए थे, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भी पेश हुए थे।

3. विवाद को समझने के लिए, 01.04.2021 से पहले और 01.04.2021 के बाद लागू प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और कुछ तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है।

> वित्त अधिनियम, 2021 के लागू होने से पहले पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को संचालित करने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा शासित होती थीः–
>
> **"कर निर्धारण से बचने वाली आय**
>
> 147. यदि निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कर योग्य कोई आय किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है, तो वह धारा 148 से धारा 153 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी आय का और कर योग्य किसी अन्य आय का भी, जो निर्धारण से छूट गई है और

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जो बाद में इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के दौरान जानकारी में आती है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है, या संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए (जिसे इस धारा में और धारा 148 से धारा 153 में प्रासंगिक निर्धारण वर्ष कहा गया है) हानि या अवक्षयण भत्ता या किसी अन्य भत्ते को पुनः संगणित कर सकता है:

बशर्ते जहां प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए धारा 143 की उपधारा (3) या इस धारा के अधीन निर्धारण किया गया है, वहां प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन जारी की गई नोटिस के उत्तर में या उस निर्धारण वर्ष के लिए उसके निर्धारण के लिए आवश्यक सभी तात्विक तथ्यों को पूरी तरह से और वास्तव में प्रकट करने में निर्धारिती की ओर से असफलता के कारण ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए कर योग्य कोई आय निर्धारण से छूट न गई हो:

बशर्ते यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जहां भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति के संबंध में (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) कर से प्रभार्य कोई आय किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है:

बशर्ते यह भी कि निर्धारण अधिकारी ऐसी आय से भिन्न, जिसमें ऐसे मामले अंतर्वलित हैं, जो किसी अपील, निर्देश या पुनरीक्षण के विषय हैं, किसी आय का जो कर योग्य है और कर निर्धारण से छूट गया है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकेगा।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

स्पष्टीकरण 1. –निर्धारण अधिकारी के समक्ष लेखा बहियों या अन्य साक्ष्य को प्रस्तुत करना, जिससे निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्यक सजगता के साथ तात्विक साक्ष्य का पता लगा हो, आवश्यक रूप से पूर्वगामी परंतुक के अर्थ में प्रकटन के बराबर नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2. –इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को भी ऐसे मामले माना जाएगा जहां कर योग्य आय निर्धारण से छूट गई है, अर्थात्: –

(क) जहां निर्धारिती द्वारा आय का कोई विवरण नहीं दिया गया है, यद्यपि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारण योग्य है, उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आय कर योग्य नहीं है ;

(ख) जहां निर्धारिती द्वारा आय का विवरण प्रस्तुत किया गया है किंतु कोई निर्धारण नहीं किया गया है और निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि निर्धारिती ने आय को कम करके दिखाया है या विवरण में अत्यधिक हानि, कटौती, भत्ता या राहत का दावा किया है;

(खक) जहां निर्धारिती किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिसकी धारा 92ड़ के अधीन उसके लिए इस प्रकार अपेक्षा की गई थी;

(ग) जहां निर्धारण किया गया है, किंतु–

(i) कर योग्य आय का कम मूल्यांकन किया गया है; या

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ii) ऐसी आय का मूल्यांकन अत्यधिक कम दर पर किया गया है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन ऐसी आय को अत्यधिक अनुतोष का विषय बनाया गया है; या

(iv) इस अधिनियम के तहत अत्यधिक हानि या मूल्यह्रास भत्ते या किसी अन्य भत्ते की गणना की गई है,

(गक) जहां निर्धारिती द्वारा आय का विवरण नहीं दिया गया है या उसके द्वारा धारा 133 सी की उप–धारा (2) के तहत निर्धारित आय कर प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी या दस्तावेज के आधार पर आय का विवरण दिया गया है, निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि निर्धारिती की आय उस अधिकतम राशि से अधिक है, जो कर योग्य नहीं है, या, जैसा भी मामला हो, निर्धारिती ने आय को कम कर दिखाया गया है या अत्यधिक हानि, कटौती, भत्ता या राहत का दावा किया है;

(घ) जहां किसी व्यक्ति के पास भारत के बाहर स्थित कोई आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) पाया जाता है।

स्पष्टीकरण 3. –इस धारा के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण के प्रयोजन के लिए, निर्धारण अधिकारी किसी ऐसे विवाद्यक की बाबत, जो निर्धारण से छूट गया है, आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकेगा और ऐसा विवाद्यक बाद में इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में उसकी जानकारी में आता है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे विवाद्यक के कारणों को धारा 148 की उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित कारणों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

स्पष्टीकरण 4. –शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यथा संशोधित इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2012 को या उससे पहले प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए भी लागू होंगे।

जहां आय निर्धारण से छूट गई है वहां नोटिस जारी करना

148. (1) धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनः संगणना करने से पूर्व, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को एक सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी आय की या किसी अन्य व्यक्ति की आय की, जिसकी बाबत वह प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के तत्समान पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित और ऐसी अन्य विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरण प्रस्तुत करे और इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे जैसे कि ऐसा विवरण धारा 139 के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण हो:

बशर्ते कि ऐसी स्थिति में

(क) जहां इस धारा के अधीन तामील की गई सूचना के उत्तर में 1 अक्तूबर, 1991 को आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान विवरण दिया गया है, और

(ख) तत्पश्चात् धारा 143 की उपधारा (2) के परंतुक में विनिर्दिष्ट बारह मास की समाप्ति के पश्चात्, जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) द्वारा उक्त उपधारा के संशोधन के ठीक पूर्व विद्यमान था, किंतु

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

धारा 153 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट निर्धारण पुनर्निर्धारण या पुनः संगणना के लिए समय सीमा समाप्त होने के पूर्व इस खंड में संदर्भित सभी नोटिस वैध मानी जाएगी:

बशर्ते आगे स्थिति में –

(क) जहां 1 अक्तूबर, 1991 को आरंभ होने वाली और 30 सितम्बर, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान इस धारा के अधीन तामील की गई सूचना के उत्तर में विवरण दिया गया हो, और

(ख) तत्पश्चात् धारा 143 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन एक सूचना की तामील धारा 143 की उपधारा (2) के खंड (ii) के परंतुक में विनिर्दिष्ट बारह मास की समाप्ति के पश्चात् किंतु धारा 153 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनः संगणना करने की समय–सीमा की समाप्ति से पूर्व की गई है, इस खंड में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी नोटिस को विधिमान्य सूचना समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि पहले परंतुक या दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे विवरण पर लागू नहीं होगी जो इस धारा के अधीन तामील की गई नोटिस के उत्तर में 1 अक्तूबर, 2005 को या उसके पश्चात् दी गई है।

(2) निर्धारण अधिकारी, इस धारा के अधीन कोई नोटिस जारी करने से पूर्व, ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा।

नोटिस जारी करने की समय सीमा

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

149. (1) प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के अधीन कोई नोटिस जारी नहीं की जाएगी, –

(क) यदि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष बीत गए हैं, जब तक कि मामला खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन नहीं आता है–

(ख) यदि चार वर्ष, किंतु छह वर्ष से अधिक नहीं, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से बीत गए हैं जब तक कि कर योग्य आय, जो निर्धारण से छूट गई है, उस वर्ष के लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक है या होने की संभावना है;

(ग) यदि चार वर्ष, किंतु सोलह वर्ष से अधिक नहीं, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से बीत गए हैं जब तक कि भारत के बाहर स्थित किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी इकाई में वित्तीय हित भी है) के संबंध में आय कर योग्य निर्धारण से छूट न गई हो।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए निर्धारण से छूट गई कर योग्य आय का अवधारण करने में धारा 147 के स्पष्टीकरण 2 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस धारा के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।
(2) नोटिस जारी करने के बारे में उपधारा (1) के उपबंध धारा 151 के उपबंधों के अधीन होंगे।

(3) यदि वह व्यक्ति, जिस पर धारा 148 के अधीन नोटिस की तामील की जानी है, धारा 163 के अधीन अनिवासी के अभिकर्ता के रूप में माना जाने वाला व्यक्ति है और नोटिस के अनुसरण में किए जाने वाले निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनः संगणना ऐसे अनिवासी के अभिकर्ता के रूप में उस

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पर की जानी है तो नोटिस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यथा संशोधित धारा (1) और (3) के प्रावधान 1 अप्रैल, 2012 को या उससे पहले शुरू होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए भी लागू होंगे।

नोटिस जारी करने के लिए मंजूरी

151. (1) किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् धारा 148 के अधीन कोई नोटिस तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों से प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी नोटिस जारी करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले से भिन्न किसी मामले में, किसी ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा, जो संयुक्त आयुक्त की रैंक से नीचे का है, धारा 148 के अधीन कोई नोटिस तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि संयुक्त आयुक्त को अभिलिखित कारणों से समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी नोटिस जारी करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या संयुक्त आयुक्त को, धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करने के लिए मामले

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

की उपयुक्तता के बारे में निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों से समाधान हो जाने पर, स्वयं ऐसी नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

3. 1 छूट अधिनियम, 2020 की धारा 3 के तहत निहित शक्ति के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने के लिए धारा 149 के तहत निर्धारित समय सीमा बढ़ाने के साथ–साथ निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की:

अधिसूचना की तिथि	अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की मूल सीमा	विस्तारित सीमा
31.03. 2020	20.03.2020 से 29.06.2020 तक	30.06. 2020
24.06. 2020	20.03.2020 से 31.12.2020 तक	31.03. 2021
31.03.2021	31.03.2021	30.04.2021
27.04.2021	30.04.2021	30.06.2021

छूट अधिनियम, 2020 की धारा 3 के तहत 31 मार्च, 2021 और 27 अप्रैल, 2021 को जारी अधिसूचनाओं के स्पष्टीकरण में यह भी निर्धारित किया गया था कि वे प्रावधान वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधन पहले यथा विद्यमान रूप में, इसके तहत शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया पर लागू होंगे।

3.2 संसद ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 से 151 में सुधारात्मक परिवर्तन किए, जो वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन की

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं, जिसे 28 मार्च, 2021 को पारित किया गया था। वित्त अधिनियम, 2021 में 01.04.2021 से लागू प्रतिस्थापित धारा 147 से 149 और धारा 151 निम्नानुसार हैं:

निर्धारण से बचने वाली आय

"147. यदि किसी निर्धारिती के मामले में कर योग्य कोई आय किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है, तो निर्धारण अधिकारी, धारा 148 से 153 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकेगा या ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए हानि या अवक्षयण भत्ता या किसी अन्य भत्ते या कटौती की पुनः संगणना कर सकेगा (जिसे इस धारा में और धारा 148 से 153 में इसके पश्चात् प्रासंगिक निर्धारण वर्ष कहा गया है)।

स्पष्टीकरण–इस धारा के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण या पुनः संगणना के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो निर्धारण से छूट गया है, आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है और ऐसा विषय बाद में इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में उसकी जानकारी में आता है, इस तथ्य के बावजूद कि धारा 148क के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है।

जहां आय निर्धारण से छूट गई है वहां नोटिस जारी करना

148. धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनः संगणना करने से पूर्व और धारा 148क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती पर धारा 148क के खंड (घ) के अधीन, यदि अपेक्षित हो, पारित आदेश की प्रति के साथ एक नोटिस, जिसमें उससे

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ऐसी अवधि के भीतर, जो ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी आय की या किसी अन्य व्यक्ति की आय की, जिसके संबंध में वह प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के तत्समान पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, विहित प्रारूप में और विहित रीति में सत्यापित और ऐसी अन्य विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरण प्रस्तुत करने हेतु जारी करेगा और इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे मानो ऐसा विवरण धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित विवरण हो:

बशर्ते इस धारा के अधीन कोई नोटिस तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारण अधिकारी के पास यह सूचना न हो कि कर योग्य आय प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में निर्धारण से छूट गई है और निर्धारण अधिकारी ने ऐसी नोटिस जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

स्पष्टीकरण 1. –इस धारा और धारा 148 क के प्रयोजनों के लिए निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी जानकारी कि कर योग्य आय निर्धारण से छूट गई है, इसका अर्थ है –

(i) बोर्ड द्वारा समय–समय पर तैयार की गई जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में दी गई कोई जानकारी

(ii) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा इस आशय की उठाई गई अंतिम आपत्ति कि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

में निर्धारण इस धारा के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है। स्पष्टीकरण 2.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां—

(i) किसी निर्धारिती के मामले में धारा 132 या खाता बही के तहत एक खोज शुरू की जाती है, अन्य दस्तावेजों या किसी संपत्ति का अधिग्रहण धारा 132ए के तहत, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद किया जाता है;या

(ii) किसी निर्धारिती के मामले में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद उस धारा की उप–धारा (2क) या उप–धारा (5) के तहत के अलावा धारा 133क के तहत एक सर्वेक्षण किया जाता है; या

(iii) निर्धारण अधिकारी को प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से यह समाधान हो जाए कि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति के मामले में धारा 132 या धारा 132क के तहत अभिगृहीत या अध्यपेक्षित कोई धन, सोना–चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज निर्धारिती की है; या

(iv) निर्धारण अधिकारी को प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से यह समाधान हो जाए कि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति के मामले में धारा 132 या धारा 132क के अधीन अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज निर्धारिती से संबंधित हैं या उनमें अंतर्विष्ट किसी सूचना से संबंधित हैं, तो निर्धारण अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके पास ऐसी सूचना है जिससे यह पता चलता है कि कर योग्य आय उस पूर्ववर्ष से ठीक पहले के तीन निर्धारण वर्षों के लिए, जिसमें जाँच आरंभ की जाती है या खाते की बहियां, अन्य दस्तावेज या

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आस्तियां अध्यपेक्षित की जाती हैं या सर्वेक्षण किया जाता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती के मामले में निर्धारण से छूट गई है।

स्पष्टीकरण 3. –इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से धारा 151 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।"

धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले जांच करना, अवसर प्रदान करना

"148क. निर्धारण अधिकारी, धारा 148 के अधीन कोई नोटिस जारी करने से पूर्व, –

(क) ऐसी नोटिस के संबंध में, यदि आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से कोई जांच कर सकता है, जिससे पता चलता हो कि कर योग्य आय निर्धारण से छूट गई है;

(ख) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से उस पर कारण बताओ नोटिस की तामील करके, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, निर्धारिती को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा, जो उस तारीख से, जिसको ऐसी नोटिस जारी की जाती है, कम से कम सात दिन और किंतु तीस दिन से अधिक न हो, या ऐसा समय हो, जो उसके द्वारा इस निमित्त आवेदन के आधार पर विस्तारित किया जाए कि खंड (क) के अनुसार जाँच, यदि कोई हो, के परिणामस्वरूप ऐसी सूचनाएं जो इस बात का संकेत देती हैं कि कर योग्य आय संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में आकलन से बच गई है को आधार पर धारा 148 के अधीन नोटिस क्यों न जारी की जाए;

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट कारण बताओ नोटिस के उत्तर में निर्धारिती द्वारा दिए गए उत्तर पर, यदि कोई हो, पर विचार कर सकेगा

(घ) यह निर्णय कर सकेगा कि धारा 148 के अधीन उस मास के अंत से, जिसमें खंड (ग) में निर्दिष्ट उत्तर उसे प्राप्त होता है, एक मास के भीतर, जिसमें खंड (ख) के अनुसार उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय समाप्त होता है, धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करना उचित मामला है या नहीं:

बशर्ते इस धारा के उपबंध ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जहां, –

(क) 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद निर्धारिती के मामले में धारा 132 के अधीन जाँच आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा की जाती है; या

(ख) निर्धारण अधिकारी को प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से यह समाधान हो जाता है कि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति के मामले में धारा 132 के अधीन जाँच में अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित कोई धन, सोना–चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज निर्धारिती की है; या

(ग) निर्धारण अधिकारी को प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से यह समाधान हो जाता है कि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति के मामले में धारा 132 के अधीन जाँच में अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित कोई

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

लेखा बही, दस्तावेज निर्धारिती के हैं, या उसमें निहित कोई सूचना निर्धारिती से संबंधित है।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से धारा 151 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।

नोटिस जारी करने की समय सीमा

"149. (1) प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं की जाएगी, –

(क) यदि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष बीत गए हैं, जब तक कि मामला खंड (ख) के अंतर्गत नहीं आता हो;

(ख) यदि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष, किंतु दस वर्ष से अधिक नहीं बीत गए हैं, जब तक कि निर्धारण अधिकारी के पास अपनी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या साक्ष्य नहीं हैं, जो यह प्रकट करते हों कि कर योग्य आय आस्ति के रूप में है, जो उस वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है, पचास लाख रुपए है या उससे अधिक की रकम की होने की संभावना हैः

बशर्ते 1 अप्रैल, 2021 को या उससे पहले प्रारंभ होने वाले प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए किसी मामले में धारा 148 के अधीन किसी भी समय कोई नोटिस जारी नहीं की जाएगी, यदि इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा से अधिक होने के कारण उस समय ऐसी नोटिस जारी नहीं की जा सकती थी, जैसा कि वे वित्त अधिनियम, 2021 के प्रारंभ से ठीक पहले थे:

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बशर्ते यह और कि इस धारा के उपबंध ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे, जहां धारा 153 क या धारा 153 ग सपठित धारा धारा 153 क के अधीन सूचना 31 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व धारा 132 के अधीन आरंभ की गई जाँच या धारा 132 क के अधीन अध्यपेक्षित लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में जारी की जानी अपेक्षित है:

बशर्ते यह भी कि इस धारा के अनुसार परिसीमा अवधि की संगणना आदेश के प्रयोजनों के लिए धारा 148 क के खंड (ख) के अधीन जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसार या किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा धारा 148 क के अधीन कार्यवाही पर रोक लगाने की अवधि के अनुसार निर्धारिती को अनुज्ञात समय या विस्तारित समय को अपवर्जित किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि जहां ठीक पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के अपवर्जन के पश्चात् धारा 148 क के खंड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध परिसीमा की अवधि सात दिन से कम है, वहां ऐसी शेष अवधि सात दिन तक बढ़ा दी जाएगी और इस उपधारा के अधीन परिसीमा की अवधि तदनुसार विस्तारित समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए " आस्ति " में अचल संपत्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, शेयर और प्रतिभूतियां, ऋण और अग्रिम, बैंक खाते में जमा शामिल होंगे।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(2) नोटिस जारी करने के बारे में उपधारा (1) के उपबंध, धारा 151 के उपबंधों के अध्यधीन होंगे।

नोटिस जारी करने के लिए मंजूरी

"151. धारा 148 और धारा 148क के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा –

(i) प्रधान आयुक्त या प्रधान निदेशक या आयुक्त या निदेशक, यदि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष या तीन वर्ष से कम बीत गए हैं

(ii) प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या जहां कोई प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक न हो, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक, यदि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष से अधिक बीत गए हैं।

3.3 आयकर अधिनियम की धारा 151ए की उप–धारा (1) में, आरंभिक हिस्से में "धारा 148 के तहत नोटिस जारी करना" शब्दों के बाद," या जाँच किया जाना या कारण बताओ नोटिस जारी करना या धारा 148ए के तहत आदेश पारित करना" शब्दों को शामिल किया गया है।

4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 से 151 का वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा प्रस्थापन के 1 अप्रैल, 2021 को प्रभाव में आने के बावजूद, विद्वान एएसजी के अनुसार, राजस्व विभाग ने 31 मार्च, 2021 और 27 अप्रैल, 2021 की अधिसूचनाओं में स्पष्टीकरण के आधार पर पूर्ववर्ती धारा 148 से 151 के तहत संबंधित करदाताओं को लगभग 90,000 पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी किए। उक्त पुनर्मूल्यांकन नोटिस विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिकाओं का

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विषय था। संबंधित उच्च न्यायालयों ने माना है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 से 151 के तहत जारी किए गए सभी संबंधित पुनर्मूल्यांकन नोटिस कानून के लिहाज से गलत हैं क्योंकि 01.04.2021 के बाद जारी किए गए पुनर्मूल्यांकन नोटिस वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 से 151 द्वारा शासित हैं। नतीजतन, संबंधित उच्च न्यायालयों ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत जारी किए गए सभी पुनर्मूल्यांकन नोटिसों को रद्द कर दिया है ।इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश वर्तमान अपीलों का विषय है।हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने संबंधित पुनर्मूल्यांकन नोटिसों को रद्द करते हुए 15.12.2021 को अपने समान निर्णय और आदेश में यह भी कहा है कि यदि कानून राजस्व को इस मामले में आगे कदम उठाने की अनुमति देता है तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

5. हमने राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी श्री एन. वेंकटरमन और संबंधित निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी.ए. सुंदरम और श्री एस. गणेश को सुना है।

6. इसमें विवाद नहीं हो सकता है कि वित्त अधिनियम , 2021 द्वारा आयकर अधिनियम (आईटी अधिनियम) की धारा 147 से 151 के प्रस्थापन से, पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए मौलिक और सुधारात्मक परिवर्तन किए गए हैं। आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 147 से 149 और धारा 151 में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। हालांकि, कई कारणों से, इससे कई मुकदमें सामने आए और इन्हें फिर से खोलने को अन्य बातों के साथ–साथ निम्न आधार पर चुनौती दी गई, जैसे (1) "विश्वास करने का कोई वैध कारण" नहीं है (2) निर्धारण अधिकारी के पास कोई

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मूर्त/विश्वसनीय सामग्री/जानकारी नहीं है जिससे यह विश्वास पैदा हुआ कि आय मूल्यांकन से बच गई है, (3) नोटिस जारी करने से पहले निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है; निर्धारण अधिकारी और फिर से खोलना निर्धारण अधिकारी की राय में बदलाव पर आधारित है और (4) अंत में इस न्यायालय द्वारा **जीकेएन ड्राइवशाफ्ट्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी और अन्य** (2003) 1 एससीसी 72, के मामले में विहित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

6.1 आगे, वित्त अधिनियम, 2021,के अनुसार, अधिकतम छह वर्ष तक की अवधि के लिए और कुछ मामलों में छह वर्ष से भी अधिक की अवधि के लिए फिर से खोलने की अनुमति थी, जिससे काफी समय तक अनिश्चितता बनी रही। इसलिए, संसद ने कर प्रशासन को सरल बनाने, अनुपालन को आसान बनाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन करना उचित समझा। अतः, उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा धारा 147 से 149 और धारा 151 को प्रतिस्थापित किया गया है।

6.2 वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा आईटी अधिनियम के प्रतिस्थापित प्रावधानों के तहत, आईटी अधिनियम की धारा 148 के तहत आईटी अधिनियम की धारा 148क के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई नोटिस जारी नहीं की जा सकती है। आईटी अधिनियम की धारा 148, के तहत दी गयी नोटिस के साथ निर्धारण अधिकारी (एओ) से आईटी अधिनियम की धारा 148क के तहत पारित आदेश की तामील करना अपेक्षित है। आईटी अधिनियम की धारा 148क एक नया प्रावधान है जो एक शर्त की प्रकृति का है जो पूर्व शर्त है। इस प्रकार आयकर अधिनियम की धारा 148क को कर प्रशासन को सरल बनाने,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अनुपालन को आसान बनाने और मुकदमेबाजी को कम करने के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में एक गेम चेंजर कहा जा सकता है।

6.3 लेकिन पूर्व–वित्त अधिनियम, 2021 से पहले, किसी आकलन को फिर से खोलते समय, फिर से खोले जाने के लिए कारण देने की प्रक्रिया और निर्धारिती को एक अवसर और **जीकेएन ड्राइवशाफ्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय के फैसले उद्देश्यों का पालन करना आवश्यक था।

6.4 तथापि, धारा 148क के माध्यम से, प्रक्रिया को अब सुव्यवस्थित और सरल बनाया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि धारा 148 के तहत कोई भी नोटिस जारी करने से पहले, निर्धारण अधिकारी (i) यदि आवश्यक हो, तो विशिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन से ऐसी सूचना के संबंध में जाँच करेगा जिससे लगता है कि कर योग्य आय मूल्यांकन से बच गयी है। (ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देगा। (iii) धारा (बी) में उल्लिखित कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रस्तुत किए गए निर्धारिती के उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करेगा। और (iv) करदाता के उत्तर सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय करेगा कि क्या यह आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए यह उपयुक्त मामला है या नहीं, और (v) एओ निर्धारित समय के भीतर एक विशिष्ट आदेश पारित करेगा।

6.5 इसलिए, आईटी अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले सभी सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाते हैं। धारा 148क (क) के अनुसार जांच करने के लिए भी प्रत्येक चरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। केवल ऐसे मामले में, जहां निर्धारण अधिकारी की राय है कि धारा 148क (ख) के तहत कोई भी नोटिस जारी करने से पहले निर्धारिती को एक अवसर दिया जाना चाहिए, जांच करने की आवश्यकता होने पर, निर्धारण

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिकारी ऐसा कर सकता है और कोई भी जांच कर सकता है। इस प्रकार, यदि निर्धारण अधिकारी की राय है कि किसी जांच की आवश्यकता है, तो निर्धारण अधिकारी ऐसा कर सकता है। लेकिन कर योग्य आय के निर्धारण से बचने की सूचना के संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ।

6.6 प्रतिस्थापित धारा 149 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करने की समय–सीमा को शासित करने वाला उपबंध है। इसमें उन अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान किया गया है, जो पहले की व्यवस्था पूर्व वित्त अधिनियम, 2021 के तहत अनुपस्थित थे।

7. इस प्रकार, वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित नए प्रावधान उपचारात्मक और उदार प्रकृति के हैं और निर्धारिती के अधिकारों और हित के साथ–साथ जनहित में होने के कारण, संबंधित उच्च न्यायालयों ने उचित रूप से कहा है कि नए प्रावधानों का लाभ पिछले निर्धारण वर्षों से संबंधित कार्यवाही के संबंध में भी उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते कि धारा 148 का नोटिस 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद जारी किया गया हो। ऐसा अभिनिर्धारित करने में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से हम पूरी तरह सहमत हैं।

8. हालांकि, इसके साथ ही, कई उच्च न्यायालयों के फैसलों के परिणामस्वरूप कोई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही नहीं होगी, भले ही वित्त अधिनियम, 2021 और आईटी अधिनियम की धारा 147 से 151 के तहत इसकी अनुमति दी गई हो। राजस्व को बिना भरपाई नहीं छोड़ा जा सकता और पुनर्मूल्यांकन कार्यवाहियों के उद्देश्य को रोका नहीं जा सकता। यह सही है कि एक वास्तविक गलती के कारण और विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से समय के बाद विस्तार के मद्देनजर, राजस्व विभाग ने 01.04.2021 से संशोधन लागू होने के बाद धारा असंशोधित धारा 148 के तहत धारा 148 के आक्षेपित नोटिस जारी किए। हमारी राय में

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

नोटिस असंशोधित अधिनियम के तहत जारी नहीं किए जाने थे और इन्हें वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार आईटी अधिनियम की प्रस्थापित धारा 147–151 के तहत जारी किया जाना चाहिए था। ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधनों को वास्तविक रूप से लागू नहीं किया गया है क्योंकि राजस्व अधिकारियों को यह विश्वास रहा हो सकता है कि संशोधन अभी तक नहीं किए गए हैं। इसलिए, हमारी राय है कि इस संबंध में कुछ छूट दी जानी चाहिए जो उच्च न्यायालय ऐसा कर सकते थे। इसलिए, आईटी अधिनियम के असंशोधित प्रावधान के तहत जारी किए गए पुनर्मूल्यांकन नोटिसों को रद्द और निरस्त करने के बजाय , उच्च न्यायालयों को असंशोधित अधिनियम/आईटी अधिनियम के असंशोधित प्रावधान के तहत जारी किए गए नोटिसों का अर्थ नए प्रावधान धारा 148 क के अनुसार आईटी अधिनियम की धारा 148 क के तहत जारी किए गए समझने के लिए एक आदेश पारित करना चाहिए था, और राजस्व को वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार आईटी अधिनियम की धारा 147 से 151 के प्रतिस्थापित प्रावधानों के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी, जो सभी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं और बचाव के अनुपालन के अध्यधीन होती, जो आईटी अधिनियम की धारा 147 से 151 के प्रतिस्थापित प्रावधानों के तहत निर्धारिती को उपलब्ध हो सकती है और जो विधि के अनुसार वित्त अधिनियम, 2021 के तहत उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए, हम संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों को निम्नलिखित रूप में संशोधित करने का प्रस्ताव करते हैं:

(i) संबंधित करदाताओं को जारी संबंधित धारा 148 के नोटिस को वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित आईटी अधिनियम की धारा 148 क के तहत जारी किया गया माना जाएगा और धारा 148 क (ख) के संदर्भ में कारण बताओ नोटिस माना जाएगा। संबंधित निर्धारण अधिकारी आज से

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तीस दिन के भीतर करदाताओं को वह जानकारी और सामग्री उपलब्ध कराएंगे, जिसका राजस्व ने अवलंब लिया है, ताकि करदाता दो सप्ताह के भीतर इन नोटिसों का जवाब दे सकें;

(ii) धारा 148 क (क) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से कोई भी जांच करने की आवश्यकता को असंशोधित अधिनियम की धारा 148 के तहत 01.04.2021 से अब तक जारी किए गए नोटिस के संबंध में एक बार के उपाय के रूप में समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जिसमें उच्च न्यायालयों द्वारा रद्द किए गए नोटिस भी शामिल हैं;

(iii) इसके बाद निर्धारण अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए धारा 148 क (घ) के संदर्भ में प्रत्येक निर्धारिती के संबंध में आदेश पारित करेंगे;

(iv) धारा 149 के तहत निर्धारिती को उपलब्ध सभी बचाव और/या जो वित्त अधिनियम, 2021 के तहत और कानून में उपलब्ध हो सकते हैं और वित्त अधिनियम, 2021 के तहत मूल्यांकन अधिकारी को जो भी अधिकार उपलब्ध हैं, उन्हें खुला रखा जाएगा और/या उपलब्ध रहना जारी रहेगा;

(v) वर्तमान आदेश संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा असंशोधित आईटी अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी किए गए समान नोटिसों को रद्द करने वाले संबंधित निर्णयों और आदेशों को प्रतिस्थापित /संशोधित करेगा, भले ही उन्हें इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी हो या नही।

9. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी और संबंधित निर्धारितियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं/विद्वान अधिवक्ताओं के बीच उपरोक्त

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पहलुओं पर एक व्यापक सहमति है। हमारी भी यह राय है कि यदि पूर्वोक्त आदेश पारित किया जाता है, तो यह राजस्व के अधिकारों के साथ–साथ संबंधित करदाताओं के बीच संतुलन स्थापित करेगा क्योंकि राजस्व के अधिकारियों के लगभग 90,000 ऐसी नोटिस जारी करने कारण राजस्व को नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि अंततः सरकारी खजाने को नुकसान होगा।

इसलिए, हमने इस न्यायालय के समक्ष और अपील दायर करने से बचने और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित समान निर्णयों और आदेशों के खिलाफ लगभग 9000 अपीलों के बोझ से इस न्यायालय को बचाने की दृष्टि से वर्तमान आदेश पारित आदेश का प्रस्ताव किया है, जिनमें से कुछ का विवरण इसमें ऊपर दिया गया है। हमने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त आदेश पारित करने का भी प्रस्ताव किया है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान आदेश न केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को नियंत्रित करेगा, बल्कि इसे देश के सभी उच्च न्यायालयों द्वारा इसी तरह के निर्णयों और आदेशों के संबंध में भी लागू किया जाएगा और इसलिए वर्तमान आदेश पूरे भारत में लागू होगा।

10. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और उपर्युक्त कारणों से वर्तमान अपीलों को अंशतः अनुज्ञात किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूटी संख्या 524/2021 और अन्य संबद्ध कर अपीलों/याचिकाओं में पारित आम निर्णयों और आदेशों को एतदद्वारा संशोधित किया जाता है और निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

(i) आयकर अधिनियम की असंशोधित धारा 148 के तहत संबंधित करदाताओं को जारी किए गए आक्षेपित धारा 148 नोटिस, जो विभिन्न संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिकाओं का विषय थे, को वित्त

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिनियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित आईटी अधिनियम की धारा 148 क के तहत जारी किया गया माना जाएगा और धारा 148 क (ख) के संदर्भ में कारण बताओ नोटिस माना जाएगा। निर्धारण अधिकारी आज से तीस दिन के भीतर संबंधित करदाता को अवलंबित सूचना और सामग्री उपलब्ध कराएगा, ताकि करदाता कारण बताओ नोटिस का जवाब दो सप्ताह के भीतर दे सकें;

(ii) धारा 148 क (क) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ, यदि आवश्यक हो, तो कोई भी जांच करने की आवश्यकता को असंशोधित अधिनियम की धारा 148 के तहत 01.04.2021 से लेकर अब तक जारी किए गए उन नोटिसों के साथ उच्च न्यायालयों द्वारा रद्द किए गए नोटिसों के लिए एक बार के उपाय के रूप में छोड़ दिया जाता है।

वैसे अन्यथा भी, जैसा ऊपर कहा गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से कोई जांच करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो संबंधित निर्धारण अधिकारी जांच करता है;

(iii) इसके बाद निर्धारण अधिकारी प्रत्येक संबंधित करदाता के संबंध में धारा 148 क (घ) के संदर्भ में आदेश पारित करेंगे और इसके बाद धारा 148 क के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद धारा 148 (यथा प्रस्थापित) के तहत नोटिस जारी कर सकते हैं;

(iv) आयकर अधिनियम की धारा 149 के तहत निर्धारिती को उपलब्ध सभी बचाव और वित्त अधिनियम, 2021 के तहत संबंधित निर्धारिती और राजस्व के लिए उपलब्ध सभी अधिकार और दलीलें जारी रहेंगी।

11. वर्तमान आदेश पूरे भारत में लागू होगा और इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित सभी निर्णय और आदेश जिनमें अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत 01.04.2021 के बाद जारी किए गए इसी तरह के नोटिस को

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपास्त कर दिया गया है, अपास्त किए जाते हैं और वर्तमान आदेश द्वारा शासित होंगे और उपरोक्त सीमा तक संशोधित होंगे। वर्तमान आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए पारित किया गया है, ताकि इसी तरह के निर्णयों और आदेशों को चुनौती देने वाले राजस्व विभाग की अपीलों से बचा जा सके, ताकि इस न्यायालय पर लगभग 9000 अपीलों का बोझ न पड़े। हम यह भी टिप्पणी करते हैं कि वर्तमान आदेश विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं को भी शासित करेगा जिसमें अधिनियम की धारा 148 के तहत 01.04.2021 के बाद जारी इसी तरह के नोटिस को चुनौती दी जा रही है।

12. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित ऐसे ही निर्णय और आदेश, विशेष रूप से विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित ऐसे संबंधित निर्णय और आदेश , जिनका विवरण ऊपर दिया गया है, को केवल पूर्वोक्त सीमा तक संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाएगा।

तदनुसार, इन सभी अपीलों को उपर्युक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

मामले के तथ्यों के दृष्टिगत, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

.....

(न्यायमूर्ति एम. आर. शाह)

.....

(न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न)

नई दिल्ली

4 मई, 2022

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।